



**मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी**  
**M.P. STATE HAJ COMMITTEE**  
**मध्य प्रदेश शासन**

(भारत सरकार के हज अधिनियम 2002 के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)

Web Site : www.mphajcommittee.com, e-mail : mphajcommittee@yahoo.in  
Haj House, Green Singarbhadi, Behind Gulmohar Garden, Airport Road, Bhopal-462036 (M.P.)  
Ph. : 0755-2530139, FAX : 0755-2530639

REF:MPSHC/37/2023/ 385

DATE : 09-05-2023

प्रति,

जनसम्पर्क आयुक्त,  
मध्य प्रदेश,  
भोपाल।

संशोधित प्रेस विज्ञप्ति


विषय—हज-2023 हज कमेटी ऑफ इण्डिया द्वारा चयनित हज यात्रियों हेतु जमा की जाने राशि के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक 13 दिनांक 06.05.2023 में किये गये संशोधन के संबंध में निम्न प्रेस विज्ञप्ति भेजी जा रही है जिसे राज्य के समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के समस्त केन्द्रों से प्रसारित कराने बाबत।

संदर्भ—इस हज कमेटी की पूर्व प्रेस विज्ञप्ति का पत्र क्रमांक MPSHC/37/2023/208, दिनांक 07-05-2023.

**प्रेस विज्ञप्ति**

हज-2023 के लिए चयनित शिया हज यात्रियों हेतु जमा की जाने राशि के संबंध में हज कमेटी ऑफ इण्डिया द्वारा जारी सर्कुलर में किये गये संशोधन अनुसार जिन शिया हज यात्रियों ने भोपाल, दिल्ली, गया, मुवाहादी, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, रांची, श्रीनगर और वाराणसी इम्बार्केशन पॉइंटों से जाने हेतु MEEQAT के लिए JOHFA को चुना है उन्हें पूर्व में बताई गई राशि रुपये 24,904/- (सऊदी रियाल 1097.1 SAR) के स्थान पर राशि रुपये 2,611/- (सऊदी रियाल 115 SAR) का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार मुंबई, अहमदाबाद, औरंगाबाद, बंगलुरु, कालीकट, चेन्नई, कोचीन, हैदराबाद, कन्नूर, नागपुर और विजयवाडा इम्बार्केशन पॉइंटों से जाने वाले से शिया हज यात्रियों जिन्होंने MEEQAT के लिए JOHFA को चुना है उन्हें पूर्व में बताई गई राशि रुपये 26,314/- (सऊदी रियाल 1159.2 SAR) के स्थान पर राशि रुपये 4,020/- (सऊदी रियाल 177.10 SAR) का भुगतान करना होगा।

अधिक जानकारी के लिए मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी की वेबसाइट [www.mphajcommittee.com](http://www.mphajcommittee.com) पर संशोधित पत्र (हज-2023) का अवलोकन एवं दूरभाष क्रमांक 0755-2530139 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

  
(सैयद शाकिर खान-जाफरी)  
सचिव  
मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी